

फर्द अहकाम

बनाम मालीदा
विजय नगर

66/20

आज्ञा विस्तृत रूप से

पञ्जाबकी आठ फेदा हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित नहीं। कार-कार आवाज दिमाई
गई। प्रार्थी वकील के प्रार्थी उपस्थित नहीं।
प्रार्थी वकील के प्रार्थी को अग्निक आवाज
साथ 5-45 बजे दिमाई गई कोइ उपस्थित नहीं।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदालतद्वारा व
अदालत प्रार्थी से खारिज किया जाता है। पञ्जाबकी
जम्मा से कम होकर वाद तकमील मुकदमा
के साथ संलग्न हो सुनाया गया।

~~पञ्जाब~~ अधिकारी
पुण्डर (द्वितीय)